महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–627/9–9–13–162ज/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2013

विषयः 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की धनराशि अंतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों को 02 प्रतिशत अंतरित होने वाली स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण न होने के कारण निकायों को विकास कार्य कराये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–क.नि.–5–391/11–2008–312(268)/2001 दिनांक 07.02.2008 में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण निकायों को किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये है।

कृपया उक्त शासनादेश में निहित निर्देशानुसार नगर निकायों को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अन्तरित कराये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12/7/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकाय को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अपने स्तर से भी स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण निकायों को कराये जाने के संबंध में प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

go-y